भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 811
दिनांक 07/02/2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रसायन और उर्वरक क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचा

811. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में रसायन और उर्वरक क्षेत्र के लिए विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान रसायनों और उर्वरकों के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मानवों और पशुओं को होने वाले जोखिम को रोकने के उद्देश्य से कीटनाशकों के आयात, विनिर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग के विनियमन तथा उससे संबंधित मामलों के लिए कीटनाशक अधिनियम, 1968 को अधिसूचित किया है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 (एमएसआईएचसी) और उसके बाद किए गए तत्संबंधी संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिनमें औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले खतरनाक रसायनों की पहचान करने के लिए खतरे के मानदंड, जैसे विषाक्तता, ज्वलनशीलता और विस्फोटकता को परिभाषित किया गया है। रासायनिक दुर्घटना आपातकालीन योजना, तैयारी और प्रतिक्रिया नियम, 1996 (सीएईपीपीआर नियम, 1996) को भी एमएसआईएचसी नियम, 1989 के पूरक के रूप में अधिसूचित किया गया है और ये केंद्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर चार-स्तरीय प्रणाली के साथ देश में स्थापित संकट प्रबंधन को वैधानिक बैकअप प्रदान करते हैं। इसके अलावा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) ने अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1030 (ई) तारीख 1.11.2016 के द्वारा "घरेलू और सजावटी पेंट में सीसा सामग्री का विनियमन नियम, 2016" को प्रकाशित किया है। भारत स्टॉकहोम कन्वेंशन का

हस्ताक्षरकर्ता भी है। परिणामस्वरूप, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना सं. सा.का.नि. 207(अ) तारीख 5.03.2018 के तहत स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुलग्नक क में सूचीबद्ध निम्नलिखित सात स्थायी कार्बनिक रसायनों (पीओपी) का विनिर्माण, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात निषेध कर दिया है:

- क्लोरडेकोन;
- हेक्साब्रोमोबाइफिनाइल;
- हेक्साब्रोमोडाइफेनिल ईथर और हेप्टाब्रोमोडाइफेनिल ईथर (वाणिज्यिक ऑक्टा-बीडीई);
- टेट्राब्रोमोडाइफेनिल ईथर और पेंटाब्रोमोडाइफेनिल ईथर (वाणिज्यिक पेंटा-बीडीई);
- पेंटाक्लोरोबेंज़ीन;
- हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडेकेन;
- हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन.

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग चुनिंदा रसायनों और पेट्रोरसायनों के लिए अनिवार्य बीआईएस मानक लागू कर रहा है। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि आयातित और घरेलू रूप से उत्पादित, दोनों रसायन कड़े गुणवत्ता मापदंडों को पूरा करें, जिससे खतरनाक और खराब उत्पादों के उपयोग को रोका जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 16 के तहत इन मानकों को अनिवार्य बनाकर, इस पहल का उद्देश्य मानव, पशु और वनस्पति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है। रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग ने अब तक रसायन और पेट्रोरसायन के लिए 75 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अधिसूचित किए हैं।

उर्वरक क्षेत्र के संबंध में, किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ), 1985 को लागू किया है। एफसीओ उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। इस आदेश के तहत, विभिन्न उर्वरकों के विनिर्देश संबंधित अनुसूचियों में निर्दिष्ट किए गए हैं। एफसीओ उन उर्वरकों की बिक्री पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं हैं। एफसीओ के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ एफसीओ के तहत प्रशासनिक कार्रवाई दोनों की जाती हैं।

(ख) और (ग) जी हां, पिछले पांच वर्षों के दौरान रसायनों और उर्वरकों के निर्यात में वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों (सीमा शुल्क शीर्ष 15,26,28,29,32-38) के साथ-साथ उर्वरकों (सीटीएच कोड 31) सहित रसायनों और उर्वरकों के निर्यात का आंकड़ा 22172 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह आंकड़ा वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 29442 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 32.7% की वृद्धि दर्शाता है।

*****